कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

(1)

आदेश पत्रक

...ता० अनिता कुमारी बनाम दिलेश्वर साव तक

बालूमाथ जिला– लातेहार वाद संख्या– 35 /2023-24

...प्रकार भूमि विवाद

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
11-07-2023	आवेदिका अनिता कुमारी पति स्व० प्रकाश गंझू ग्राम- लावागड़ा थाना- बालूमाथ के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा - ईचाक के CS खाता नं० 59 प्लॉट सं० 475 हाल सर्वे खाता नं० 113 प्लॉट नं० 656 रकबा 06 डिसमिल भूमि से संबंधित है। आवेदिका का कहना है कि उक्त भूमि मे दिलेश्वर साव ग्राम- ईचाक द्वारा चौहद्दी से हटकर बनाये गये होटल को हटाने हेतु आवेदन है। आलोक मे वाद की कारवाई प्रारंभ की जाती है। उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। उभय पक्षकार वाद की अगली तिथि को अपने-अपने राजस्व कागजात के साथ उपस्थित रहेंगे।	B/2022 4406 B/2022 1553

Scanned with CamSc

(8)

(6)

कार्यालय : अंचल अधिकारी, बालूमाथ।

आदेश पत्रक

आदेश पत्रक – ता० ———————————————— से ———————————————— तक

अंचल – बालूमाथ, जिला – लातेहार **विविध वाद सं०–35/2023–24**

केस का प्रकार– **अनिता कुमारी बनाम दिलेश्वर साव**

आदेश की क्र०सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
23.08.2023	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। आदेश हेतु पूर्व से तिथि निर्धारित थी। प्रथम पक्षकार अनिता कुमारी का कहना है कि मेरे पति स्व0 प्रकाश गंझू के परदादा टेढ़ा पाहन के नाम से सी0एस0 खाता 59 प्लॉट 475 का जमाबंदी कायम है। इस खाते में प्लॉट 475 रकबा 6 डी भूमि वर्ष 1994 में फुलेश्वरी देवी पति बजरंग साव को अलख गंझू के द्वारा केवाला किया गया। इस केवाला का चौहदी-उ0 तनीक गंझू द0 सड़क पू0 हाल खतियान प0 तनीक गंझू दर्ज है। क्रेता फुलेश्वरी देवी के द्वारा इस 6 डी0 भूमि का म्यूटेशन कराया गया जिसका दा0खा0 वाद 130/07-08 दर्ज है एवं हो0नं0-212 पर कायम है। रिविजन सर्वे में यह खाता 118 प्लॉट 659 रकबा 6 डी0 इन्द्राज पाया गया। उक्त भूमि पर विपक्षी दिलेश्वर साव के द्वारा अपनी क्रय की गई भूमि से हटकर अन्य स्थान पर होटल निर्माण कर दिये है। वह भूमि मेरे हिस्से की है। प्रथम पक्षकार का कहना है कि विपक्षी दिलेश्वर साव को अपने खरीदगी जमीन पर होटल का निर्माण किया जाना चाहिए था न कि मेरे हिस्से वाली भूमि पर। द्वितीय पक्षकार दिलेश्वर साव का कहना है कि वर्ष 1994 मे अलख गंझू से भूमि खरीदगी की गई थी जिसका दाखिल खारिज कराया गया उस केवाला में चौहदी उ0-तनीक गंझू, द0-सड़क, पू0- हाल खरीददार श्रीमति विरेन देवी, द0-तनीक गंझू दर्शाया गया है। द्वितीय पक्षकार का ये भी कहना है कि विक्रेता अलख गंझू के कहने पर हमलोग दूसरी जगह में घर एवं होटल बनाये है। द्वितीय पक्षकार के द्वारा साक्ष्य के रूप में केवाला एवं रसीद उपलब्ध कराया गया।	

Scanned with CamSc

उपरोक्त उभय पक्षकारों के द्वारा उपलब्ध कराये गये राजस्व दस्तावेज, राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अवलोकन के पश्चात निम्नलिखित तथ्य पाये जाते है।

1- यह भूमि विवाद मौजा ईचाक सी0एस0 खाता 59 प्लॉट 475 रकबा 6 डी0 (आर0एस0 खाता 118 प्लॉट 656 एवं अन्य कुल रकबा 69.71 एकड़) से संबंधित है।

2- आर0एस0 खतियान खाता नं0 118 प्रमेशर पाहन वगैरह के नाम से दर्ज पाया गया है जिसका आवेदिका के पति स्व0 प्रकाश गंझू (प्रथम पक्षकार) पूर्वज है।

3- द्वितीय पक्षकार के द्वारा केवाला संख्या-901 दिनांक 15.06.94 के द्वारा अलख गंझू पिता स्व0 गन्दुरा गंझू से भूमि खरीदी गई है। जिसका पंजी-II के हो0नं0 212 में जमाबंदी कायम है।

4- राजस्व कर्मी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्षकार के द्वारा खरीदी केवाला में चौहदी- उ0-तनीक गंझू, द0-सड़क, पू0- हाल खरीददार श्रीमति विरेन देवी, द0-तनीक गंझू दर्शाया गया है। जबकि द्वितीय पक्षकार के द्वारा निर्मित मकान/होटल का चौहदी- उ0- अनावाद बिहार सरकार, द0- रास्ता, पू0- अशोक प्रसाद, प0- सुखन ठाकुर है। होटल के अगल-बगल में तनिक गंझू का भूमि अवस्थित नही है। इससे स्पष्ट होता है कि केवाला में अंकित चौहदी से हटकर होटल बनाया गया है।

5- आर0एस0 में ये भूमि लखन पाहन के नाम से दर्ज पायी गई है। जिसका वंशज प्रमेश्वर गंझू है।

6- वर्ष 1994 में जो अलख गंझू से फुलेश्वरी देवी पति बजरंग साव के द्वारा केवाला किया गया था वह सी0एन0टी0 ऐक्ट 1908 का उल्लंघन किया गया था जो विधि सम्मत नही है। फुलेश्वरी देवी पति बजरंग साव के द्वारा केवाला में दर्ज चौहदी से हटकर अपना होटल का निर्माण किया गया है। जांच प्रतिवेदन में राजस्व कर्मचारी के द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि केवाला में दर्ज चौहदी से हटकर अपना होटल का निर्माण किया है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होता है।

7- सी0एस0 खाता के विक्रेता अलख गंझू के हिस्से में मात्र 16 डी0 भूमि होता है परन्तु उनके द्वारा कुल 61 डी0 भूमि का बिक्री कर दिये है जो नियम संगत प्रतीत नही होता है।

8- खतियानी रैयत टेढ़ा पाहन के पांच पुत्र थे प्रत्येक का हिस्सा 16-16

Scanned with CamSc

डी0 होता है उनमें एक पुत्र गेन्दिरा पाहन का पुत्र अलख गंझू है जो 16 डी0 से अधिक भूमि का विकय कर चुके है। एक अन्य पुत्र सोड़र पाहन के तीन पुत्र बन्धन पाहन, सुकर पाहन, परमेश्वर गंझू है इसमें प्रत्येक का हिस्सा 5.33-5.33 डी0 बनता है। प्रमेश्वर गंझू का पुत्र प्रकाश गंझू जिसकी पत्नी अनिता कुमारी (प्रथम पक्षकार) है।

उपर्युक्त सभी तथ्यों, निष्कर्षों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात मै इस नतीजा पर पहुंचता हूँ कि सी0एस0 खाता 59 प्लॉट 475 रकबा 6 डी0 भूमि जो द्वितीय पक्षकार दिलेश्वर साव के पूर्वज कय किये थे उस भूमि पर वर्तमान में दिलेश्वर साव होटल न बनाकर दूसरे स्थान पर बना लिए है जो प्रथम पक्षकार के पुस्तैनी हिस्से की भूमि 5.33 डी0 की है। ऐसी स्थिति में द्वितीय पक्षकार दिलेश्वर साव को आदेश दिया जाता है कि एक सप्ताह के अन्तर्गत उस स्थान से अपना संरचना को हटाकर केवाला में दर्ज चौहदी के आधार पर अपना होटल या मकान का निर्माण करना सुनिश्चित करें। यदि द्वितीय पक्षकार दिलेश्वर साव के द्वारा आदेश का पालन नही किया जाता है तो उक्त भूमि पर अतिक्रमण वाद संचालित करके कारवाई की जाएगी एवं सम्पूर्ण व्यय द्वितीय पक्षकार से वसूली की जाएगी। राजस्व कर्मी एवं अंचल निरीक्षक अपने स्तर से उक्त भूमि से संरचना हटाने हेतु पहल करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर थाना बालूमाथ से पुलिस बल की मांग करेंगे। मेरे इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। आदेश से राजस्व कर्मी/अंचल निरीक्षक एवं थाना बालूमाथ को अवगत करायें।

लेखापित एवं संशोधित

23/8/24

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

23/8/24

अंचल अधिकारी,
बालूमाथ।

Digitally signed by TRIPTI VIJAYA KUJUR
Date: 2024.07.27 13:16:22 +05:30
Location: 192.168.193.91

Scanned with CamSc